रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1975/कार्तिक 10, 1897
No. 304] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1975/KARTIKA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st November 1975

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 173/75-Central Excises, dated the 1st August, 1975, the Central Government hereby fixes a tariff value of Three Hundred and Ten rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad-valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 221/75]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 551(अ).—केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के (राजस्व और बीमा विभाग)की तारीख 1 अगस्त, 1975 की अधिसूचना स० 173/75-के०उ०शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद स० 1 की उपमद स०(1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए तीन सौ दस रुपए प्रति क्विंटल मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

परन्तु इस अधिसूचना मे अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नही होगी ।

[सं० 221/75]

जी० एस० मैगी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975